

## (3) सेवाओं/पदों का विवरण:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद		योग	वेतन मैट्रिक्स
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	राज्य सिविल सेवा उप जिलामुख्य सामान्य प्रशासन विभाग	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	₹ 56100 (स्तर-12)	
2	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	₹ 56100 (स्तर-12)	
3	छोगो राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	₹ 56100 (स्तर-12)	
	बैकलॉग	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	अधीक्षक जिला जेल गृह (जेल) विभाग	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	₹ 56100 (स्तर-12)	
5	जिला सेनानी, नगर सेना गृह विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	₹ 56100 (स्तर-12)	
6	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (BL, OA, OL, OAL)	7	₹ 56100 (स्तर-12)	
7	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें सहकारिता विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	₹ 56100 (स्तर-12)	
	बैकलॉग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (LV, OL, BL, OA, HH, B)	1		
8	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा वित्त एवं योजना विभाग	7	2	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, BL, HH)	17	₹ 38100 (स्तर-9)	
	बैकलॉग	-	3	14	4	-	-	-	-	-	-	1	-	04 (OA, OL, BL, HH)	25		
9	वाणिज्यिक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	17	5	12	6	5	1	3	1	1	-	1	-	-	40	₹ 28700 (स्तर-7)	
10	आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	9	3	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	22	₹ 28700 (स्तर-7)	
11	उप पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	₹ 28700 (स्तर-7)	
	बैकलॉग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, OAL, BL, HH)	1		
12	सहायक जेल अधीक्षक गृह (जेल) विभाग	5	2	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	₹ 25300 (स्तर-6)	

कुल योग :- 160

Abbreviations used:- OA - One Arm, OL- One Leg, BL- Both Leg, HH- Hearing Handicapped, B-Blind, OAL- One Arm &amp; One Leg, LV - Low Vision

## टीप:-

- (i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।  
(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के भर्ती नियम एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।  
(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन ही मान्य होंगे।  
(iv) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा।

- (v) विज्ञापन की पैरा - 3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद् पश्चात् समय-समय पर शासन से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में विज्ञापित पदों

के अलावा परीक्षा नियम-2008 के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे।  
(vi) प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारी में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।  
(vii) अत्यंत महत्वपूर्ण :-

अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिक तथा केन्द्र आदि को एक बार त्रुटि सुधार के बाद किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे